(1)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखण्डों में से कुल दो पत्थर भूखण्ड संख्या–06 एवं 07 का आवंटन शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृति दी गई है।

14/10/2006

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग।

(2)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के जमुई जिलान्तर्गत मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक (पुनर्नीलामी) एवं बाँका जिलान्तर्गत पिंडारा (कॉपर–लेड–जिंक) ब्लॉक की ई–नीलामी के लिए अनुमानित संसाधनों का मूल्य (Value of Estimated Resource) गणना हेतु मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य (Reserve Price) एवं विभिन्न समय सीमा निर्धारण पर स्वीकृति दी गई है।

08/10/2016

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(3)

विभाग का नाम :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ।

प्रेस नोट

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 14000.00 करोड़ (चौदह हजार करोड़) रूपये के विरूद्ध कुल 11200.00 करोड़ (ग्यारह हजार दो सौ करोड़) रूपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

हस्ताक्षर :–
नाम :– अभय कुमार सिंह
पदनाम :– सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों में नल–जल योजना के संचालन हेतु निर्मित जलापूर्ति केन्द्रों/जल मीनारों पर 05 किलोवाट ऑनग्रीड सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा। जिससे विद्युत विपत्र की राशि भुगतान में सरकारी राजस्व पर भार कम होगी, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं का स्रोत राजस्व अर्जित किया जा सकेगा तथा योजना के क्रियान्वयन से नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उचित कदम होगा।

(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट ऑनग्रीड सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा। जिससे विद्युत विपत्र की राशि भुगतान में सरकारी राजस्व पर भार कम होगी, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं का स्रोत राजस्व अर्जित किया जा सकेगा तथा योजना के क्रियान्वयन से नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उचित कदम होगा।

(मनोज कुमार)
सचिव

संoसंo-एम-4-22/2015

बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेस नोट

कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के बैंक खाता में कोषागार (पीo एलo खाता सहित) के माध्यम से सीधे निकासी किये गये वेतन/पेंशन एवं अपार आईoडीo सत्यापित खाते में अंतरित छात्रवृत्ति की राशि के मामले में उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि, जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, के लिए महालेखाकार कार्यालय को अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

संदर्भित मामलों में उपयेागिता प्रमाण–पत्र भेजे जाने की आवश्यकता से विमुक्त किये जाने हेतु बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम–271 एवं 272 में संशोधन किया गया है।

इससे लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों में कमी के साथ इनके सामंजन कराये जाने की गति तीव्र होगी।

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव

7 63/70

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेस नोट

सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि दिनांक–30.09.2026 तक थी। आयोग के अनुरोध के आलोक में आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव

9

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

आई.आई.टी., पटना रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु सेन्टर फॉर अर्बनाईजेशन, बिल्डिंग एण्ड इन्वॉयरमेंट (CUBE), आई.आई.टी. मद्रास को मुख्य परामर्शी तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में परियोजना लागत ₹305.00 करोड़ के कुल–05 प्रतिशत दर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131 ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर चयनित करने तथा उनके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

07/70

10

सं0सं0–10/सदर–02–03/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

दरभंगा जिला अंतर्गत आमजनों को सुगम एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल, गंगवारा, दरभंगा के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12.11.26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

06/70

1703(9A)
16.11.26

11

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9 / आ0–08–05 / 2024

सिविल सर्जन, मधेपुरा के पत्रांक–25 दिनांक–05.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अनुराधा (कोटि क्रमांक–G3323 / 2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहटा, कुमारखंड, मधेपुरा दिनांक–17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1594(9) दिनांक–06.11.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–688(9) दिनांक–08.08.2024 द्वारा डा0 अनुराधा से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की गई। द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक– 09.12.2025 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 अनुराधा को सरकारी "सेवा से बर्खास्त" करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2503 दिनांक–16.10.2026 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अनुराधा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहटा, कुमारखंड, मधेपुरा दिनांक–17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(12)

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

आई०टी० क्षेत्रों के विस्तार एवं बदलते हुए आयाम में सूचना तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने प्रमंडलीय कार्यालयों/जिला स्तरीय कार्यालयों एवं प्रखण्डों में IT Requirements (Hardware/Software/Automation) की आपूर्ति अनिवार्य आवश्यकताएँ बन गई हैं। सूचना प्रावैधिकी संबंधित केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीति, विविध कानून का प्रवर्तन एवं अनुपालन मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों तक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

आई०टी० परियोजनाओं में क्षेत्रीय स्तर तक उत्तरोत्तर हो रहे वृद्धि के मद्देनजर विभागीय नीतियों का क्रियान्वयन एवं परियोजनाओं के Rollout करने में विभिन्न विभागों के प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय, सहयोग, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निमित बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा के जिला ई–गवर्नेंस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन से आम नागरिकों का विभाग से डिजिटल जुड़ाव एवं क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं का निदान संभव होगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

13

प्रेस नोट

राज्य की विद्युत प्रणाली में हो रहे चतुर्दिक विकास एवं विद्युत मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की अति आवश्यकता है, ताकि राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उक्त आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत 3X800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट पीरपैंती, भागलपुर से विद्युत निकासी हेतु अंतरा–राज्यीय संचरण परियोजनाओं के निर्माण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (TBCB Mode) के माध्यम से E-Reverse Auction के फलस्वरूप सफल निविदादाता मेसर्स अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 35 वर्षों के लिए वार्षिक संचरण टैरिफ (Annual Transmission Charges) 493.762 करोड़ (चार सौ तिरानवे करोड़ छिहत्तर लाख बीस हजार) रूपये प्रतिवर्ष (विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–63 के प्रावधान के तहत टैरिफ बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपनाने के अधीन) जिसे दोनों वितरण कम्पनियों (यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0) द्वारा भुगतान किया जाएगा एवं 35 वर्षों के पश्चात् सभी निर्मित संरचनाओं को स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी (वर्तमान में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0) को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

(14)

प्रेस नोट

बक्सर–भागलपुर छः–लेन पूर्णतः एक्सेस–कन्ट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार करने एवं ट्रॉन्जेक्शन एडवाइजर (Transaction Advisor) की परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कुल राशि ₹6658.19 लाख (रूपये छियासठ करोड़ अट्ठावन लाख उन्नीस हजार) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित पथ प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बिहार के बंक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुगेंर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बाँका और भागलपुर जिलों से होकर गुजरती है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं पूर्व में रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे से सम्पर्कता प्रदान करेगी। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे दिल्ली–लखनऊ–बक्सर–भागलपुर– हल्दिया कॉरिडोर का अंश एवं सहायक सिद्ध होगा।

विषयांकित योजना का क्रियान्वयन कार्य मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जाएगा।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग

15

प्रेस नोट

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 अधिसूचित किए जाने से उक्त अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के प्रशासनिक, कार्मिक एवं अन्य मामलों की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में उपयोगी होगा।

14/11/26

(अमलेन्दु कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।